

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

भोपाल, रविवार, दिनांक 20 नवम्बर 2016—कार्तिक 29, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-9-2016-एक-10.—यतः, कस्बा पेटलावद, जिला झाबुआ, में दिनांक 12 अक्टूबर 2016 को मोहर्रम के जुलूस को रोके जाने की घटना घटित हुई है.

2. और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच किए जाने के प्रयोजन के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है :—

- (एक) दिनांक 12 अक्टूबर 2016 को पेटलावद, जिला झाबुआ में किन परिस्थितियों में मोहर्रम के जुलूस को रोके जाने की घटना घटित हुई? इसके पीछे क्या कारण थे और उनके लिए कौन-कौन किस हद तक उत्तरदायी है?
- (दो) क्या प्रशासन द्वारा मोहर्रम के जुलूस के लिए समुचित प्रबंध किए गए थे?
- (तीन) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुझाव ?
- (चार) ऐसे अन्य विषय जो जांच के लिए आनुषंगिक हो?

3. अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच हेतु नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय झाबुआ रहेगा.

5. आयोग इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-9-2016-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 24-9-2016-एक-10, दिनांक 20 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> November 2016

No. F 24-9-2016-I-10.—WHEREAS, in Kasba Petlayad of district Jhabua, an incident of stopping of Moharram procession occurred on 12th October 2016.

2. AND, WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of inquiry into the following matters of public interest, namely :—

- (i) Under which circumstances the incident of stopping of Moharram procession occurred on 12th October, 2016? What were the reasons behind the incident and who are liable for this incident and upto what extent?
- (ii) Whether adequate arrangements were made for Moharram procession by the administration?
- (iii) Necessary suggestion so that recurrence of such incidents may not happen in future?
- (iv) Such other matters which may be incidental to the inquiry?

3. THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the State Government, hereby, appoints a Commission of Inquiry, consisting of a single member in the Chairmanship of the retired District Judge to inquire into the aforesaid matters of public importance.

4. The headquarter of the Commission shall be at Jhabua.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within three months from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-9-2016-एक-10.—यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि, की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंधों को, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 24-9-2016-एक-10, दिनांक 20 नवम्बर 2016 के अधीन नियुक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए.

अतएव, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2), (4) तथा (5) के समस्त उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2016

क्र. एफ 24-9-2016-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 24-9-2016-एक-10, दिनांक 20 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 20<sup>th</sup> November 2016

No. F 24-9-2016-I-10.—WHEREAS, the State Government is of the opinion that, having regard to the nature of Inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (4) and (5) of Section 5 of the Commissions of inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the Commission under this department's Notification No. F-24-9-2016-I-10, dated 20th November 2016.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said Section, the State Government, hereby directs that all the provisions of sub-section (2), (4) and (5) of the said Section shall apply to the said Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Addl. Secy.